Policy Guidelines for intake of students of Planning for Summer Training in Planning Department of DDA:

- 1. Annual total intake of 25 students of Planning to be considered for Summer Training.
- 2. Application from the institutes/students for Summer Training received till 10th May shall be considered.
- 3. Preference for the Summer Training will be given to the students undergoing Post Graduation in Planning. However, maximum 20% of the students of B. Planning will be considered for Summer Training.
- 4. Application of the students must be forwarded/recommended by the Training Coordinator or HOD of their institutes.
- 5. Honorarium/out of pocket expenses @ Rs.2500/- per month shall be paid to the students on satisfactory completion of training.

दि.वि.प्रा. के योजना विभाग में ग्रीष्म कालीन प्रशिक्षण हेतु योजना के विद्यार्थियों को लेने (इंटेक) हेतु नीति विषयक दिशा-निर्देश:

1. ग्रीष्म कालीन प्रशिक्षण के लिए वार्षिक रूप से योजना के कुल 25 विद्यार्थियों को लेने पर विचार किया जाएगा ।

2. ग्रीष्म कालीन प्रशिक्षण हेतु संस्थानों / विद्यार्थियों की ओर से 10 मई तक प्राप्त होने

वाले आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाएगा ।

3. ग्रीष्म कालीन प्रशिक्षण हेतु योजना में रनातकोत्तर कर रहे विद्यार्थियों को वरीयता दी जाएगी । तथापि, बी. प्लानिंग के अधिकतम 20 प्रतिशत विद्यार्थियों के मामले पर विचार किया जाएगा ।

4. विद्यार्थियों के आवेदन-पत्रों को उनके संस्थानों के प्रशिक्षण समन्वयक (कॉर्डिनेटर)

अथवा विभागाध्यक्षों द्वारा अग्रेषित / संस्तुत किया जाना चाहिए ।

5. प्रशिक्षण को संतोषजनक रूप से पूरा करने पर विद्यार्थियों को 2500/-रु. प्रति माह की दर से मानदेय / जेब खर्च का भूगतान किया जाएगा ।